न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-85/2012

1- दिलीपकुमार पुत्र नथमल जाति वैश्य सर्राफ निवासी फतेहपुर शेखावाटी हाल देवीपुरा रोड सीकर एवं वर्तमान निवासी कोलकत्ता जरिये मुखतयार व पिता नथमल पुत्र स्व0 झाबरमल जाति वैश्य सर्राफ निवासी देवीपुरा रोड सीकर। आदि

---प्रार्थीगण---

---बनाम---

1- भागीरथसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत(मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि-आदि

--अप्रार्थीगण---

प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम 4 व 9
सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आदेश- 22
नियम-4 सीपीसी ।

--0---

उपस्थिति-

1- श्री रामप्रसाद गुप्ता एडवोकेट- प्रार्थीगण
2- श्री मदनलाल शर्मा एडवोकेट- अप्रार्थीगण
3- श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अप्रार्थीगण
4- श्री राहुल पारीक एडवोकेट- अप्रार्थी

निर्णय दिनांक- 23.4.2018

प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 व 9 सीपीसी मय दफा-5 अवधि अधिनियम के पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0-9 बाल सिंह एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-10 सवाईसिंह की तामिल रिपोर्ट उनके मृत होने की आने पर प्रथम बार मृत्यु की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को इनकी मृत्यु की कोई जानकारी नहीं थी। तथा ना ही आदेश-22 नियम-10 ए, सीपीसी के प्रावधान की पालना में रेस्पोडेन्ट ने कोई सूचना दी। अपीलान्ट/प्रार्थी का

Web Copy - Not Official

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

मृत व्यक्तियों से तथा उनके वारिसों एवं परिवार से कोई सम्पर्क नहीं है। ऐसी स्थिति मे उनके वारिसान की जानकारी करने एक-डेड माह का समय लग गया । अपीलान्ट को इनकी मृत्यु की जानकारी सर्वप्रथम 1-8-2017 को होने पर यह प्रा0 पत्र जानकारी से समय सीमा में पेश किया है फिर भी प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र में हुये विलम्ब को क्षमा कर रेस्पोडेन्ट बालसिंह व सवाईसिंह के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे ।

रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी सं0-2 से 4 ने प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि बालसिंह एवं सवाईसिंह की मृत्यु की जानकारी दिनाक 1-8-2017 को हुई हो । प्रार्थी को बालसिंह एव सवाईसिंह की मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिन से ही रही है । आदेश-22 नियम 10ए सीपीसी की रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की ओर से सूचना नहीं देने की बात हास्यास्पद है । जब अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि रेस्पोडेन्ट की मृत्यु की सू0छ0 सूचना उनकी तामिली नोटिस पर मृत लिखा होकर आने से हुई है फिर इसके विपरित लिखते हैं कि आदेश-22 नियम-10ए सीपीसी के अन्तर्गत वकील रेस्पोडेन्ट ने कोई सूचना नहीं दी। जब बालसिंह व सवाईसिंह की तामिल ही नहीं हुई और उनकी ओर से कोई अधिवक्ता ही नियुक्त नहीं है तो आदेश- 22 नियम-10ए सीपीसी के तहत सूचना दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।आदेश 22 नियम-10ए सीपीसी के प्रावधान तो तब लागू होते जब उनकी ओर से कोई वकील नियुक्त होते ।अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानकारी के बाद भी प्रकरण में विलम्ब की नियत से पेश किया है ।दफा-5 अवधि अधिनियम में भी कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किये है। कायम मुकामी प्रार्थना पत्र मृत्यु की तिथि से 90 दिवस के अन्दर पेश करना होता है । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा में पेश नहीं किया है ।प्रार्थना पत्र समय सीमा में पेश नहीं होने से अपीलान्ट की अपील अबैट हो चुकी। अबैटमेन्ट को सैटअसाईड करवाने का आवेदन प्रस्तुत करने की मियाद अबैटमेन्ट के दिन से 60 दिन की होती है । यह प्रार्थना पत्र भी अपीलान्ट ने पेश नहीं किया है ।प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम

एवं आदेश-22 नियम-9 सीपीसी दोनों प्रार्थना पत्र समय सीमा समाप्त होने पर पेश किये गये हैं जिसके कारण अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है । जिसके लिये हमने अलग से प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 सीपीसी अपील अबैटमेन्ट का पेश किया है जिसे स्वीकार कर अपीलान्ट की अपील को अबैट घोषित किया जावे ।

अपीलान्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट दिलीपकुमार के मृतक मुखतयार नथमल के स्थान पर नये मुखतयार का नाम अंकित किये जाने का पेश किया जिसमें कैलाशचन्द्र मोदी पुत्र स्व0 मगनीराम मोदी वैश्य पता-फर्म रामदेव दुर्गादत जादिया बाजार सीकर को नियुक्त कर रखा है जिसकी मुखतयार-नामा की प्रति संलग्न है । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नथमल के स्थान पर नये मुखतयार का नाम दर्ज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया ।सर्वप्रथम मुखतयार का देहान्त होने पर अपीलान्ट के नये मुखतयार प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी ने कोई ऐतराज नहीं किया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट के नये मुखतयार का नाम अपील मीमों में दर्ज किया जावे । अपीलान्ट ने बालसिंह व सवाईसिंह के फौत होने पर कायम मुकाम प्रा0 पत्र दिनांक 4-10-2017 को पेश किया जिसमें इनकी मृत्यु की सूचना नोटिस पर आने पर जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना बताया है तथा साथ ही प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज किया है कि रेस्पोडेन्ट ने इनके मरने की सूचना न्यायालय को नही दी जो आदेश-22 नियम-10"ए"सीपीसी के अनुसार आवश्यक थी । किन्तु रेस्पोडेन्ट ने कोई सूचना नही दी इस कारण इनकी सूचना नोटिस पर फौत होने से हुई जिसके आधार पर जानकारी से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र भी पेश किया ।बालसिंह व सवाईसिंह को दिनांक 20-7-2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जिसके लिफाफा पर अंकित किया है कि" प्राप्त कर्ता खत्म हो चुका ।"

अपीलान्ट ने अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट के जबाब प्रार्थना पत्र के बाद रेस्पोडेन्ट बालसिंह की मृत्यु दिनांक 28-12-2014 को व सवाईसिंह की मृत्यु दिनांक 23-12-2013 को हुई है । अपीलान्ट का यह कहना कि रेस्पोडेन्ट ने आदेश-22 नियम-10ए सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट की मृत्यु की कोई सूचना नहीं दी । इसके छ विपरित रेस्पोडेन्ट ने जाहिर किया कि रेस्पोडेन्ट बालसिंह एवं सवाईसिंह का कोई वकील नियुक्त नहीं था और जब उनकी ओर से कोई वकील नियुक्त नहीं है तो आदेश-22 नियम-10ए सीपीसी के प्रावधान प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र प्रथमतः ही मियाद बाहर है ।कायमी आवेदन की मियाद की गणना अवधि अधिनियम कानून के अनुसार मृत्यु की दिनांक से ही की जावेगी। जिसके अनुसार अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पूर्णतया मियाद बाहर है । यहां पर अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश करने में विलम्ब किया है । प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं हैं कि प्रा0 पत्र पेश करने में विलम्ब सद्भावी रहा हो अर्थात अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पेश करने में हुआ विलम्ब बाबत कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है ।अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 व 9 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश प्रार्थनप पत्र आदेश 22 नियम-4 सीपीसी अपील अबैटमेन्ट स्वीकार किया जाकर अपील अपील अबैट की जाती है । अपील संख्या- 86/2012 में भी रेस्पोडेन्ट संख्या- 11 बालसिंह व 12 सवाईसिंह है जो उक्तानुसार ही निर्णित किये जाने पर इस अपील को भी इसी अनुसार निर्णित करते हुये अबैट किया जाता है निर्णय की एक प्रति इसमें संलग्न की जावे । अपील संख्या-25/12 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की है जो दावा खारिज होने पर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस कारण इस अपील को भी खारिज किया जाता है निर्णय की एक प्रति अपील संख्या-25/2012 में सलग्न की जावे । छठा

निर्णय सुनाया गया ।

23/4/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी